

झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांक-रा0आ0आ0 (वाद) 10/2020-

राँची, दिनांक-

कोर्ट नोटिस

प्रेषित,

श्री शंकर करमाली,

ग्राम-खोखा, पंचायत-हुप्पु,  
थाना-गोला, रामगढ़

विषय:-

ग्राम-खोखा, पंचायत-हुप्पु, थाना-गोला, जिला-रामगढ़ के श्री शंकर करमाली व अन्य कुल 20 कार्डधारियों के मामले में सुनवाई में उपस्थित होने के सम्बन्ध में।

महाशय,

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा समर्पित अपील आवेदन के आलेक में आयोग द्वारा सुनवाई करने का निर्णय लिया गया है। मामले में सुनवाई की तिथि दिनांक 27.10.2020 को अपराह्न 02:00 बजे निर्धारित की गई है।

अतः उपरोक्त निर्धारित सुनवाई में दिनांक- 27.10.2020 को 02.00 बजे अपराह्न में आप अन्य शिकायतकर्ताओं के साथ प्रज्ञा केन्द्र के माध्यम से ऑनलाइन सुनवाई के दौरान अपना पक्ष आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

ह0/-

(नरेश प्रसाद केवट)

अवर सचिव,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांक:- रा0आ0आ0 (वाद) 10/2020- 635

राँची, दिनांक- 12.10.2020

प्रतिलिपि:- श्री शंभू कुमार, राज्य प्रमुख, प्रज्ञा केन्द्र को सूचनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि सम्बन्धित प्रज्ञा केन्द्र को अपने स्तर से पत्र प्राप्त कराते हुए श्री शंकर करमाली अपीलकर्ता ग्राम-खोखा, पंचायत-हुप्पु, थाना-गोला, जिला-रामगढ़ के मामले में सुनवाई से सम्बन्धित पत्र प्राप्त करा दें एवं यह स्पष्ट कर दें कि ग्रामीणों को सुनवाई की तिथि दिनांक- 27.10.2020 को अपराह्न 2.00 बजे उन्हें किस प्रज्ञा केन्द्र में उपस्थित होना है। अधोहस्ताक्षरी को कृत कार्रवाई से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(नरेश प्रसाद केवट)

अवर सचिव,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।